न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –44/2025

अनवान

1. श्री लाभचन्द पुत्र घासीलाल, उम्र बालिग, पेशा कृषि, जाति महाजन, सा. भैंसरोडगढ़।
2. श्री अरुणकुमार पुत्र गोरीशंकर, उम्र बालिग, पेशा सर्विस, जाति ब्राहमण, सा भैंसरोडगढ़।
3. श्री अरविन्दकुमार पुत्र गोरीशंकर, उम्र बालिग, पेशा सर्विस कृषि, जाति ब्राहमण सा. भैंसरोडगढ़।
4. श्री अशोक कुमार पुत्र गोरीशंकर, उस बालिग, पेशा पेंशनर, जाति ब्राहमण, सा. भैंसरोडगढ़।
5. अनिता पुत्री गोरीशंकर, उम्र बालिग, पेशा गृहणी ,जाति ब्राहमण, सा भैंसरोडगढ ।
6. श्रीमति कमलादेवी पत्नि गोरीशंकर, उम्र बालिग, पेशा गृहणी, ब्राहमण सा. भैंसरोड़गढ ।

– प्रार्थी

बनाम

1. अधिशाषी अभियन्ता जवाहर सागर बाध कोटा राजस्थान ।
2. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ़ राजस्थान ।
3. रेन्जर वनविभाग जवाहर सागर बाँध राजस्थान

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा0टी0एक्ट बाबत् कायम करने रास्ता।
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं धारा 151जा.दी.)

उपस्थित – श्री एच. एन. शर्मा प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 01 एकतरफा कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 02 पेरोकार सरकार
अप्रार्थी संख्या 03 लेखराज सिंह चौहान।

निर्णय दिनांक 26.05.2026

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी क्र.स. 1 के नाम ग्राम मंदारचौक पटवार मण्डल सणीता तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ में जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 जमाबन्दी 2077 वर्ष 2020 से स्थायी के खाता संख्या 120 के अनुसार लाभचन्द पुत्र घासीलाल, जाति महाजन सा. भैसरोडगढ के नाम खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.6800 हैक्टर किस्म चाही 1 लगानी 14.28 रू० भूमि खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थीगण क्र.स. 2 से 6 अरुणकुमार, अरविन्दकुमार, अशोककुमार पुत्र गोरीशंकर, अनिता पुत्री गोरीशंकर, श्रीमति कमलादेवी पत्नि गौरीशंकर जाति ब्राहमण सा.भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा के नाम ग्राम मदारचौक पटवार मण्डल सणीता तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़ में जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 जमाबन्दी 2077 वर्ष 2020 से स्थायी के खाता सख्या 4 के अनुसार खसरा नम्बर 1522, 1523, 1524 एवं 1525 रकबा 1.2000, 0.2100, 0.0300 एवं 1.5300 हैक्टर किस्म चाही 1. चाही 1, गै०मु.आ.चा. एवं चाही 1 लगानी 25.20, 4.41, एवं 32.13 रूपये कुल किता 04 रकबा 2.9700 हैक्टर लगानी 61.74/– रू० भूमि खातेदारी हक से दर्ज है। जिसमें हम सभी खातेदारो का प्रत्येक का हिस्सा 1/5 दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पर हम प्रार्थीगण 01 से 6 तक मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कि कॉलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात पर आने–जाने का रास्ता मंदारचौक से जगपुरा आने–जाने वाली पक्की सडक के आराजी नम्बर 1472 रकबा 0.18 किस्म रास्ता दर्ज है परन्तु यहाँ से आगे राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित नहीं है तथा यह भूमि जवाहर सागर बाध के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस भूमि पर समय–समय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण कर काश्त की जा रही है एवं आने–जाने का रास्ता कांटे की बाढ आदि लगाकर रोक दिया जाता है। इनके द्वारा रास्ता पूर्णतया बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार रास्ता बन्द हो जाने से हमारे खाते की भूमि को हकाई करने के साधन लाने–ले जाने हेतु वाहन, खेती में प्रयुक्त होने वाले साधन तथा फसल ले जाने में रूकावट हो जाती है। यहाँ तक की स्वयं के आने जाने हेतु रास्ता रूके

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

जाने से रूकावट हो जाती है। इस प्रकार प्रार्थीगणों को खातेदारी की भूमि में काश्त करने में आने–जाने में तथा खेती करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थीगणों को उक्त रास्ते हेतु खातेदार जवाहर सागर बान्ध के खसरा नम्बर 1521, 1507, 1506, 1500, 1464 एवं 1465 में रकबा 0.0900 ,0.0900 ,0.7900, 0.1600, 0.1000, एवं 0.6600 हैक्टर किस्म जमीन चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही ए जाव एवं चाही ए जाव एवं खातेदार बिलानाम सरकार के खसरा नम्बर 1474 रकबा 0.6600 किस्म गै. मु रास्ता एवं चाही ए में होकर 15 फीट चौडाई के रास्ते की स्थाई आवश्यकता है। हम प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु जो भी राशि डी.एल.सी. दर अनुसार होगी वह समस्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा कराने को तैयार है एवं रास्ते प्रयोजनार्थ समस्त शर्तों की पालना करने को तैयार है। प्रार्थीगणो को वांछित 15 फीट चौडाई के रास्ते की भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ राजस्व रेकार्ड में अंकित करा नक्शे में तरमीम कराना आवश्यक एवं न्यायौचित है। यह कि रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि खसरा नम्बर 1521, 1507, 1506, 1500, 1464 एवं 1465 में रकबा 0. 0900 0.0900 0.7900, 0.1600, 0.1000, एवं 0.6600 हैक्टर्र किस्म जमीन चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही ए जाव एवं चाही ए जाव जवाहर सागर बांध कोटा के नाम अंकित है परन्तु उक्त भूमि पर बांध का भराव नहीं होता है। यह भूमि हमेशा पानी के भराव से बाहर ही रहती है तथा इसके आस–पास अन्य खातेदारो की भूमि स्थित है। जिस पर काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रहे है। रास्ता प्रयोजनार्थ काम लेने पर विभाग के बांध के भराव पर कोई प्रतिकुल भराव होने की सम्भावना नहीं है। खसरा नम्बर 1474 रकबा 0. 6600 किस्म गै.मु. बिलानाम सरकार के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है। अंत मे प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगणों के नाम ग्राम मंदारचौक में खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.6800 है0 किस्म चाही 1 लगानी 14.28 रू0 एवं 1522, 1523, 1524 एवं 1525 रकबा 1.2000, 0.2100,0. 0300 एवं 1.5300 हैक्टर किस्म चाही 1, चाही 1, गै०मु.आ.चा. एवं चाही 1 लगानी 25.20, 4.41, एवं 32.13 रूपये कुल किता 04 रकबा 2.9700 हैक्ट्र लगानी 61.72 रू0 खाते की आराजीयात तक पहुँच मार्ग हेतु 15 फीट चौडा रास्ता नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान करना फरमावें। यही निवेदन है कि श्रीमान तहसीलदार साहब रावतभाटा को आदेश प्रदान कर रास्ते की भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अमल करया जावें एवं नक्शे में तरमीम करना फरमावें

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित।

इसी दौरान न्यायालय के संज्ञान में आने से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता वन्य जीव अभ्यारण्य की धारा–20 के अन्तर्गत होने से वन विभाग को भी आवश्यक पक्षकार बनाकर सुनवाई के आदेश दिनांक 25.06.2025 को पारित हुए। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 जाप्ता दीवानी के तहत दिनांक 25.06.2026 की पुनरीक्षा (रिव्यू) बाबत का पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा सारहीन होने से दिनांक 28.10.2025 को खारिज किया गया।

न्यायालय आदेश की पालना में प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.12.2025 को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा रेन्जर वन विभाग जवाहर सागर बांध राजस्थान को अप्रार्थी संख्या 03 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री लेखराज सिंह चौहान ने पैरवी हेतु वकालतनामा प्रस्तत किया।

पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत मौका एवं जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/रीडर/2025/443 दिनांक 02.07.2025 से अनुसार ग्राम मदार चौक प0ह0 सणीता के आराजी संख्या 1522, 1523, 1524, 1525, व 1527 रकबा 2.97है0 अनिता पुत्री गोरीशंकर, अरूण कुमार पिता गोरीशंकर, अरविन्द कुमार पिता गोरीशंकर, कमलादेवी पत्नि गौरीशंकर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादी के उक्त आराजीयात पर आने–जाने का कोई रिकोर्डेड रास्ता नही है। वादी द्वारा चाहे गये रास्ते आराजी संख्या 1521, 1507, 1506, 1500, 1464, 1465 है जो खातेदारी जवाहर सागर बांध के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी संख्या पर कोई कुआं या बोरवेल नही बना हुआ है। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि निम्नानुसार है:–

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

क्र.सं.	खसरा संख्या	लम्बाई X चौडाई	कुलक्षेत्र	दिशा
1.	1474	40 X 5	200 मीटर	पश्चिम
2.	1500	50 X 5	250 मीटर	पश्चिम
3.	1506	75 X 5	375 मीटर	पश्चिम
4.	1507	50 X 5	250 मीटर	पश्चिम
5.	1521	18 X 5	90 मीटर	पश्चिम
		कुल	1165 मीटर	

रास्ते के उपयोग आने वाली भूमि को रिकोर्डेड रास्ते से जोड़ने के लिए आराजी संख्या 1499 में होकर जोडा जायेगा का उपभोग क्षेत्रफल 1165 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी रेट 534339 रू प्रति हैक्टयर अथवा 53.43 रू प्रति वर्गमीटर है प्रार्थी के रास्ते मे आने वाली कुल भूमि 1165 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 1165 X 53.43=62245 रू बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को जमा कराना होगा।

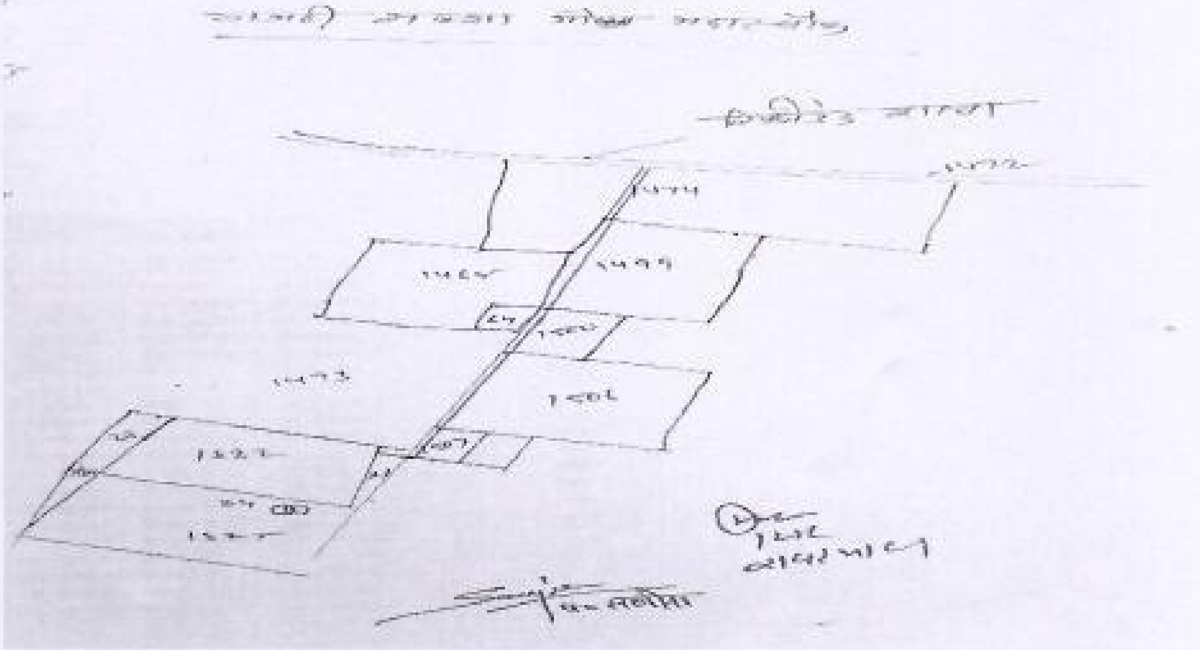

प्रकरण में सुनवाई के दौरान वकील प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 3 ने प्रकरण में दिनांक 09.04.2026 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण के समस्त खसरा संख्या जहां से वादीगणों द्वारा रास्ता चाहा गया है वह समस्त खसरे, उक्त सभी खसरे वर्तमान में जवाहर सागर वाइल्डलाइफ सेन्चूरी घोषित क्षेत्र है जो की वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र है जिसमे किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार उक्त क्षेत्र में स्थित भूमि या उससे संबंधित के संबंध में अर्जित किया जाने पर विधि द्वारा रोक है। यह कि उक्त क्षेत्र राजस्थान राजपत्रं में दिनांक 23.10.1975 से ही अधिसूचित है जिसके अंतर्गत वादीगण की भूमि और जहां से वादी रास्ता मांग रहा है वह खसरे भी उक्त सेन्चूरी कें अन्तर्गत समाहित होकर संरक्षित क्षेत्र है। यह कि वादी के वाद कथनों से ही जाहिर है कि वादीगणों की भूमि और जहां से वादीगण रास्ता मांग रहे है वह समस्त खसरे उक्त वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र होने के कारण उस क्षेत्र में किसी भी अधिकार का सृजन विधि द्वारा वर्जित है जिस कारण उक्त प्रकरण खारिज किए जाने योग्य है और ना ही कोई वाद हेतुक प्रतिवादीगण के विरूद्ध उत्पन्न हो रहा है, जिससे की उन पर वाद लाया जा सके। यह कि उक्त प्रकरण में कोई भी अधिकार, बिना वन विभाग/जवाहर सागर वाइल्डलाइफ सेन्चूरी/मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय बाघ, राजस्थान की अनापत्ति पत्र के सिवाय दिया या अर्जित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्य वजूवात वक्त बहस अर्ज किया जाएंगे। अंत में निवेदन किया है कि उक्त वाद शुरू से ही खारिज किये जाने योग्य है, उक्त वाद में वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है जिस कारण ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद लाने को कोई वाद हेतुक भी उत्पन्न नहीं होने के कारण उक्त वाद को खारिज फरमाया जाए।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

वकील वादीगण/विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर सिधे बहस करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण द्वारा धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत संस्थापित प्रार्थना-पत्र में जिन खसरा संख्याओं का उल्लेख करते हुए रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है, वे समस्त खसरा संख्याएं राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 23.10.1975 के माध्यम से अधिसूचित जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) क्षेत्र के अन्तर्गत समाहित हैं। उक्त क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18, 20 एवं अन्य प्रासंगिक उपबंधों के अधीन संरक्षित एवं अधिसूचित अभयारण्य क्षेत्र है, जहाँ किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नवीन अधिकारों का सृजन, घोषणा अथवा मान्यता प्रदान किया जाना विधि द्वारा निषिद्ध एवं प्रतिबंधित है।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र में स्वयं वादीगण द्वारा वर्णित तथ्यों से यह निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है कि वादीगण की भूमि एवं प्रस्तावित मार्ग दोनों ही अभयारण्य क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा चाही गई राहत प्रत्यक्षतः विधि-विरुद्ध एवं विशेष अधिनियम के प्रतिकूल है। अतः वादपत्र के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित (Barred by Law) है तथा वादीगण के पक्ष में कोई वैध वाद हेतुक (Cause of Action) भी उद्भूत नहीं होता है। इसलिए आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत वादपत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकृत/खारिज किये जाने योग्य है। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रतिवादी के प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादीगण खातेदारी भूमि के विधिवत धारक एवं काबिज हैं तथा विवादित मार्ग का उपयोग लम्बे समय से आवागमन हेतु करते आ रहे हैं। वादीगण द्वारा किसी नवीन अधिकार के सृजन की मांग नहीं की गई है, अपितु पूर्व से प्रचलित एवं आवश्यक मार्ग के संरक्षण एवं निर्बाध उपयोग हेतु राहत चाही गई है। यह भी निवेदन किया गया कि यह प्रश्न कि संबंधित भूमि अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है अथवा नहीं तथा वादीगण को मार्ग का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं, तथ्य एवं साक्ष्य का विषय है, जिसका निर्णय पूर्ण परीक्षण एवं साक्ष्य लेखन के उपरान्त ही किया जा सकता है। अतः केवल प्रारम्भिक स्तर पर वादपत्र का अवलोकन कर वाद को विधि द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता। फलतः प्रतिवादी का आवेदन निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या-03 की ओर से आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तृत रूप से सुना गया तथा प्रकरण के सम्पूर्ण अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण एवं अवलोकन किया गया।

न्यायालय द्वारा विचार एवं निष्कर्ष :-

दोनों पक्षों के तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा प्रार्थना पत्र के कथनों का सम्यक् परीक्षण करने पर यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरों से होकर रास्ता प्रदान किये जाने की मांग की गई है, उनके संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह विशिष्ट अभिकथन किया गया है कि वे अधिसूचित जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र का अभिन्न भाग हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजपत्र अधिसूचना एवं अन्य अभिलेखीय सामग्री से प्रथमदृष्टया उक्त तथ्य का समर्थन होता है।

आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र धारा-251(क) की ग्राह्यता का परीक्षण करते समय वादपत्र में वर्णित कथनों को आधार मानकर यह देखा जाना अपेक्षित होता है कि क्या प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया किसी विधिक प्रतिबंध से आच्छादित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं अभिलेखीय सामग्री के समग्र अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि वादीगण द्वारा चाही गई राहत का सीधा संबंध ऐसे क्षेत्र से है जो विशेष अधिनियम अर्थात् वन्यजीव

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन संरक्षित एवं नियंत्रित क्षेत्र है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण द्वारा अभिप्रेत राहत प्रदान किया जाना विशेष अधिनियम के प्रावधानों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है तथा प्रार्थनापत्र के कथनों से ही यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित श्रेणी में आता है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 251–(क) का विचारण गुण–दोष के आधार पर किये जाने से पूर्व ही आदेश 07 नियम 11 व 151 सी.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित होते हैं।

–:आदेश:–

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या–03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा –151 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। फलस्वरूप प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या–03 द्वारा आदेश 07 नियम 11 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र/वाद को आदेश 07 नियम 11 व धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन विधि द्वारा वर्जित पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 26.05.2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला–चितौडगढ़